



सत्यमेव जयते

Satya Evam Jayate

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

केन्द्रीय विद्यालय दतिया (म.प्र.)

दूरभाष : 07522-237361

ई-मेल : ppl.datia@kvs.gov.in

पता : झौंसी रोड दतिया (म.प्र.) 475661

वेबसाइट: www.datia.kvs.ac.in

"हमेशा हिन्दी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएँ"

फा०सं० 13/केविदतिया/2022-23/


दिनांक :- 30.09.2022

के.वि .दतिया(म.प्र.) में प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) में प्रवेश संबंधी सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय दतिया में प्री-प्राइमरी कक्षाएं (बाल वाटिका 1, बालवाटिका 2 तथा बालवाटिका 3) शुरु किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से दिनांक 30.09.2022 से 10.10.2022) समय सुबह 8:30 से दोपहर 12:00 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में स्वीकार किए जायेंगे। पंजीकरण फॉर्म और बालवाटिका से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट (www.datia.kvs.ac.in) पर उपलब्ध है। प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संशोधित निर्देशिका 2022-23 के नियमानुसार किया जायेगा।

| प्री-प्राइमरी कक्षाएं | उम्र (31 मार्च 2022 तक) |
|-----------------------|---------------------------------------|
| बालवाटिका 1 | 3 वर्ष (लेकिन 4 वर्ष से ज्यादा नहीं) |
| बालवाटिका 2 | 4 वर्ष (लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा नहीं) |
| बालवाटिका 3 | 5 वर्ष (लेकिन 6 वर्ष से ज्यादा नहीं) |

- आरक्षण RTE ACT-2009 के अनुसार केवल बालवाटिका 1 में होगा।
- इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु SINGLE GIRL CHILD के लिए कैटेगरी लागू नहीं होगा।


प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय दतिया (म.प्र.)



केन्द्रीय विद्यालय _____ सम्भाग _____

Kendriya Vidyalaya _____ Region _____

पंजीकरण प्रपत्र/Registration Form

Paste latest
Photograph of
ChildClass : Reg No. :

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of the Child in full (in Capital letters):

लिंग / Sex : पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि (अकों में) / Date of Birth (in figure) दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / In words :

3. 31.03.2022 तक आयु/ Age as on 31.03.2022 वर्ष / Year मास / Month दिन / Day

4. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) / Blood Group of the Child (With Rh Factor) :

5. बच्चे की सम्बन्धित श्रेणी General SC ST OBC-CL OBC-NCL EWS BPL Diff. Abled SG Child (Attach Certificate*)

Category to which child belong:

6. आधार कार्ड नंबर/Aadhar Card Number:

7. माता पिता का विवरण/Details of Mother & Father:

| क्र.सं. S.No. | | माता/Mother | पिता / Father |
|---------------|--|-------------|---------------|
| (i) | नाम (स्पष्ट शब्दों में)/ Name (In Capital Letter) | | |
| (ii) | राष्ट्रीयता (Nationality) | | |
| (iii) | व्यवसाय (Occupation) | | |
| (iv) | कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. | | |
| (v) | पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) | | |
| (vi) | विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM. | | |
| (vii) | मूल वेतन / Basic Pay | | |
| (viii) | पिछले 7 वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या/ No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/2020) | | |
| (ix) | माता-पिता की सेवा श्रेणी/ Service Category of Parent | | |
| (x) | कर्मचारी कोड (यदि है तो)/ Emp. Code (If Any) | | |
| (xi) | E-Mail Id: | | |

• I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Guardian

केन्द्रीय विद्यालय दतिया

सत्र -2022-23

बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

- ❖ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र : - नगर पालिका / ग्राम पंचायत / मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण -पत्र ।
- ❖ बच्चे का रक्त रक्त समूह (Blood Group) प्रमाण -पत्र ।
- ❖ बच्चे के दो पासपोर्ट साइज़ फोटो (2-Photo) ।
- ❖ बच्चे का आधार कार्ड (Aadhar Card)।
- ❖ जाति प्रमाण -पत्र व अन्य ,यदि लागू हो तो । जाति प्रमाण-पत्र बच्चे के नाम के होना चाहिए । (OBC / SC / ST / EWS / BPL / SGC / Minority / Differently Abled / Third Gender etc.)
- ❖ स्थानीय निवास प्रमाण - पत्र :-{ राशन कार्ड , वोटर आई डी , आधार कार्ड , विजली / पानी / टेलीफोन का बिल , स्वयं का मकान नहीं है तो शपथ -पत्र (किरायानामा)] (कोई भी एक) ।
- ❖ सेवा प्रमाण-पत्र - केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए (सम्बंधित कार्यालय द्वारा जारी) - केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवा प्रमाण - पत्र नमूने अनुसार ।
- ❖ समग्र आई डी - केवल मध्य - प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ।